

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 3029 / 2024

दिवाकर मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, विकास खण्ड—शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां (राज.)।
4. श्री हर्ष कुमार महावर विकास अधिकारी प.स. गोविन्दगढ़, जिला जयपुर मार्फत संयुक्त शासन सचिव, द्वितीय मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2024

आदेश की दिनांक : 10.10.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप माथुर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेश कुमार निगम, राजकीय अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, किशनगंज, जिला बारां में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.05.2022 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया और उसे पंचायत समिति, मनोहर थाना स्थानांतरण किया

गया और आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को किशनगंज, जिला बारां जो वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया। परंतु अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। उसका स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी का बारम्बार स्थानांतरण किया गया है और आलोच्य आदेश के द्वारा मात्र 6-7 माह की अवधि में ही पुनः स्थानांतरण किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को एक वर्ष के भीतर तीसरी बार अल्प अवधि में स्थानांतरण किया गया है। ऐसे स्थानांतरण आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय एवं अधिकरण द्वारा कई मामलो में अनुचित माना है। अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि के दौरान किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति प्राप्त किये बिना आलोच्य आदेश जारी किया गया है, उसका स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 500 कि.मी. दूर किया गया है, जो नियम विरुद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथास्थान किशनगंज, जिला बारां में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है और पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 289 के अनुसार एवं आएसआर के नियम 20 के अंतर्गत प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पदस्थापित किया जा सकता है और एक लोक सेवक के स्थानांतरण के संबंध में निर्णय का अधिकार नियोक्ता का है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, किशनगंज, जिला बारां में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, संगरिया, जिला हनुमानगढ किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का उक्त आलोच्य आदेश के द्वारा

स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी राज्य सेवा स्तर का अधिकारी है और अपीलार्थी के स्थानान्तरण के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की गई है, जो अनुलग्नक-आर-1 से प्रकट होती है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं राज्य हित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :-

*"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 500 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय ने भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य